



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3609]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2019/कार्तिक 15, 1941

No. 3609]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2019/KARTIKA 15, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2019

का.आ. 4009(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2030 (अ), तारीख 21 मई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को 22 मई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय में सम्यक् विचार किया गया था;

इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और पेंच मौगली अभयारण्य सिवनी जिले के कुराई खंड तक सीमित है। बफर क्षेत्र में सिवनी जिला में दक्षिण सिवनी संभाग के रिजर्व और संरक्षित वनों और छिंदवाड़ा जिला के पूर्व और दक्षिण छिंदवाड़ा संभाग का भाग शामिल है। पेंच बाघ रिजर्व का कोर क्षेत्र/संकटमय बाघ पर्यावास, भौगोलिक निर्देशांक के देशांतर 79° 08' 51" से 79° 31' 55" पू और अक्षांश 21° 38' 55" से 21° 53' 52" उ में 411.33 वर्ग किलोमीटर के कोर क्षेत्र में स्थित है;

और, पेंच बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्र में इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मौगली अभयारण्य शामिल है। पेंच मौगली अभयारण्य का प्रबंधन वर्ष 1995 में मध्य प्रदेश सरकार वन विभाग की अधिसूचना एफ-14/176/94/10/2, भोपाल, तारीख 29-03-95 को पेंच बाघ रिजर्व को सौंपा गया था। 2007 में पेंच बाघ रिजर्व सिवनी के कोर को मध्य प्रदेश वन विभाग की अधिसूचना एफ 15-31-2007-X-2, तारीख 24.12.2007 को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। बफर क्षेत्र को मध्य प्रदेश सरकार वन विभाग की अधिसूचना सं. एफ-15-8/2009/10-2,

तारीख 5 अक्टूबर, 2010 को अंततः 768.300 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित किया गया है। बफर क्षेत्र दक्षिण सिवनी संभाग, पूर्व छिंदवाड़ा संभाग और दक्षिण छिंदवाड़ा संभाग जैसे तीन क्षेत्रीय संभागों की प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। इस क्षेत्र को क्षेत्र निदेशक, पेंच बाघ रिजर्व के नियंत्रण में देने की प्रक्रिया चल रही है;

और, मध्य भारत के प्राकृतिक इतिहास में पेंच बाघ रिजर्व का अपना महत्व है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और जीवजन्तु और वनस्पतियों में इसकी समृद्धता का उल्लेख 17वीं शताब्दी से लेकर कई साहित्यों में किया गया है। 19वीं और पूर्व 20वीं शताब्दी से संबंधित प्रसिद्ध प्रकृतिविदों जैसे कैप्टन जॉन फोर्सथ (मध्य भारत की उच्च भूमि), रॉबर्ट एमिटेज स्टेरंडेले (सिवनी में शिविर जीवन, और भारत के स्तनधारी), डेंपर ब्रैडर (मध्य भारत में जंगली पशु) और रुदयार्ड किपलिंग (जंगल बुक) की पुस्तकों में सतपुड़ा पर्वत माला में स्पष्ट रूप से प्रकृति की बहुतायत का विस्तृत वर्णन किया गया है;

और, पेंच बाघ रिजर्व का क्षेत्र भी लोकप्रिय मौगली भूमि के रूप में भी जाना जाता है। भेड़ियों के एक झुंड द्वारा पाले गए मौगली नाम के एक लड़के को वर्ष 1831 में कर्नल विलियम स्लेमेन के मार्गदर्शन में लेफ्टिनेंट जॉन मूर द्वारा संत बावड़ी ग्राम में पाया गया था। किपलिंग ने चीजों के इस खूबसूरत विवरण को अपनी पुस्तक के शीर्षक सर विलियम हेनरी स्लेमेन द्वारा "अपनी मांद में बच्चों का पोषण करने वाले भेड़िये" और रॉबर्ट एमिटेज स्टेरंडेले द्वारा "कैप लाइफ ऑफ सिवनी" में दिया। जंगल बुक में एक स्थान का उल्लेख किया गया जहां शेर खान को मार दिया गया था। यह स्थान वास्तव में कंधीवाड़ ग्राम के निकट बाणगंगा नदी की घाटी है। वर्तमान समय में, इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व प्रसिद्ध पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। अत्यधिक संकटापन्न ग्रेट कैट "बाघ" के संरक्षण के लिए विश्व में भारत के केंद्रीय उच्चभूमि सबसे महत्वपूर्ण वासस्थानों में से एक है। इन उच्चभूमियों के मध्य में पेंच बाघ रिजर्व स्थित है। यह सिवनी, बालाघाट और मंडला जिलों के वनों द्वारा कान्हा से जुड़ा है और दक्षिणी भाग महाराष्ट्र के पेंच बाघ रिजर्व के निकटतम है;

पेंच बाघ रिजर्व की आर्द्रभूमि पक्षी-जीवों के संरक्षण के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह न केवल आवासीय पक्षियों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करता है; बल्कि कई जल मुर्गावियों के लिए शीत भूमि भी प्रदान करता है। तोतालादोह जलाशय के द्वीपों में घोंसले बनाने वाले पक्षियों जैसे रिवर टर्न, स्मॉल प्रटैकोल एवं लिटिल टर्न के लिए घोंसले का मैदान प्रदान करता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल किया गया है;

और, पेंच बाघ रिजर्व (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मौगली पेंच अभयारण्य) के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहाँ गया है की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में पेंच बाघ रिजर्व (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मौगली पेंच अभयारण्य) की सीमा के चारों ओर 0 से 27 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पेंच बाघ रिजर्व (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मौगली पेंच अभयारण्य) पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.—(1) पेंच बाघ रिजर्व (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मौगली पेंच अभयारण्य) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल 771.537 वर्ग किलोमीटर है जिसमें पेंच बाघ रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मौगली अभयारण्य के सभी अधिसूचित बफर क्षेत्र सम्मिलित हैं, और जब कभी बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र के आस-पास मौजूद नहीं होता है और बफर क्षेत्र ऐसे स्थानों में कोर क्षेत्र की सीमा से 2 किमी. से कम है, तो पारिस्थितिकी संवेदी जोन कोर सीमा से 2 किमी तक होगा, चाहे इसका स्वामित्व मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा शून्य (अंतर-राज्य सीमा के कारण) से 27 किलोमीटर तक भिन्न होती है।

- (2) सीमा वर्णन के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में हैं।
- (3) संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध II** में है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।
- (5) पेंच-कान्हा और पेंच-सतपुडा के लिए न्यूनीकरण उपाय **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:—

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वन रहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

(10) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.**—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

1. **भू-उपयोग.**—(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:—

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**—आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा करके इस रीति से बनाए जाएंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.**—(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की बहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:—

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी अधिक निकट हो किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों और उसके अधीन बनाए गए संशोधित नियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिष्काव का निस्सारण.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**—ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:—

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा—

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.**—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.**—सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **यानीय जनित प्रदूषण.**—यानीय जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.**—(i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.**— पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:—

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाईयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परन्तु यह और कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा, भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी अवसंरचना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) के अनुसार विनियमित होगा।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा और क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारिगरों सहित कुटीर उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

	रोपण ।	
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति.—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए प्रथम निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	संभागीय आयुक्त, जबलपुर	-अध्यक्ष;
(ii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iii)	गैर-सरकारी संगठनों (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	-सदस्य;
(iv)	मध्य प्रदेश के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	-सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
(vii)	संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी	- सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय.—(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और जो पारिस्थितिकी जोन की सीमा में भी आते हैं जिनमें इस अधिनियम के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप भी शामिल है। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "उद्योगों के वर्गीकरण, 2016" के लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल-विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।


8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।


[फा. सं. 25/54/2017-ई एस जेड]


डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-1

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सहित पेंच बाघ रिजर्व (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य), मध्य प्रदेश का मानचित्र







पेंच बाघ रिजर्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य)

(1) घाटकोहका रेंज -

उत्तरी सीमा - पेंच नदी से दक्षिण सिवनी क्षेत्रीय संभाग के कम्पार्टमेंट सं. आर एफ 379 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 383 की दक्षिणी सीमा एवं रिछी वन ग्राम, आर एफ 382 की उत्तरी सीमा, आर एफ 381 की पश्चिमी-उत्तरी और पूर्वी सीमा, आर एफ 395 उत्तरी सीमा, सीमरिया ग्राम की उत्तरी-पूर्वी और दक्षिणी सीमा, पारसपानी ग्राम की पूर्वी सीमा, बरेलीपार ग्राम की उत्तरी सीमा, सालहे और सर्राहिरी ग्राम की पश्चिमी सीमा, तेवनी और घाटकोहका ग्राम की उत्तरी सीमा, पी एफ 451 की उत्तरी-पूर्वी सीमा, पंजरा और सिंदरिया ग्राम की उत्तरी सीमा, मोहगांव ग्राम की पश्चिमी और उत्तरी सीमा, निवरी ग्राम की उत्तरी सीमा, अगरी ग्राम की पश्चिमी-उत्तरी सीमा, पी एफ 455 (एन एच-7) की उत्तरी-पूर्वी सीमा ।

पूर्वी सीमा - बफर जोन में पी एफ 455 की पूर्वी सीमा ।

दक्षिणी सीमा - पेंच मोगली अभयारण्य की सीमा (कम्पार्टमेंट सं. 644 से 615), आर एफ 616 की उत्तरी सीमा से श्रेणी कर्माझिरी की इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य से (राष्ट्रीय उद्यान सीमा) 592 की उत्तरी सीमा ।

पश्चिमी सीमा - कम्पार्टमेंट सं. 592 की उत्तरी-पश्चिमी सीमा इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी (सिवनी-छिंदवाड़ा जिला लाइन) एवं कम्पार्टमेंट सं. 379 की सीमा के उत्तरी-पश्चिमी किनारे ।

खावसा-रेंज-

उत्तरी सीमा -

आर एफ कम्पार्टमेंट 616 इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा से कम्पार्टमेंट 618 से 659 (एन एच-7) पेंच मोगली अभयारण्य की दक्षिणी सीमा ।

पूर्वी सीमा -

ग्राम पिंडकापार की पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट सं.- पी- 267 की दक्षिणी पूर्वी सीमा से ग्राम कोठार (एन एच- 7) की दक्षिणी सीमा तक ।

दक्षिणी सीमा -

कम्पार्टमेंट सं. 330 में कोथर ग्राम की दक्षिणी सीमा, कम्पार्टमेंट 329 की पूर्वी दक्षिणी सीमा, अर्जुनी गाँव की दक्षिणी सीमा और आर एफ 605 (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान)

पश्चिमी सीमा -

आर एफ 605 से 616 की दक्षिणी सीमा से इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान तक ।

रुखाद रेंज

उत्तरी सीमा -

पी एफ 456 की पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी सीमा, आर एफ 417, 418 एवं 420 की उत्तरी सीमा, शाकादेही, दरासी खुर्द एवं दरासी कलान ग्राम की उत्तरी सीमा ।

पूर्वी सीमा -

दरासी कलान की उत्तरी सीमा से पी एफ 448, आर एफ 430, 405, 235, 236 और 239 की पूर्वी सीमा ।

दक्षिणी सीमा -

आर एफ 239 की दक्षिणी सीमा से आर एफ 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245 एवं 246 एन एच - 7 की दक्षिणी सीमा तक।

पश्चिमी सीमा - बफर जोन कम्पार्टमेंट सं. 246 से 456 के साथ एन एच-7 की पश्चिमी सीमा।

आरी-रेंज

उत्तरी सीमा - दरसीकला ग्राम की उत्तरी-पूर्वी सीमा, खापा ग्राम एवं पी एफ 449 की पूर्वी सीमा एवं आर एफ 431 की पूर्वी सीमा, आर एफ 193 एवं अतरवानी ग्राम की उत्तरी सीमा एवं ग्राम मगरकाथा एवं आर एफ 197, एवं आर एफ 188, आर एफ 185 की उत्तरी-पश्चिमी सीमा, आर एफ 205 की उत्तरी सीमा, ग्राम पांडेयार की पश्चिमी उत्तरी सीमा, दुल्हापुर एवं बापुटोला ग्राम की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा, पी एफ 204 की पूर्वी एवं आर एफ 174 की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा तक।

पूर्वी सीमा -

आर एफ 174 की उत्तरी सीमा, से 168, 166 एवं 165 की उत्तरी सीमा और आर एफ 164, 163 एवं 162 की पूर्वी सीमा।

दक्षिणी सीमा -

आर एफ 161, 160, 159, 158 एवं 222 (सिवोनी-बालाघाट जिला सीमा रेखा) की दक्षिणी सीमा, आर एफ 222, 225, 218 की दक्षिणी सीमा, आर एफ 215 की पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी सीमा, आर एफ 216 एवं 217 एवं 230 की पश्चिमी सीमा, आर एफ 231 की दक्षिणी सीमा, पी एफ 271 और आर एफ 239 की पूर्वी सीमा।

पश्चिमी सीमा -

आर एफ 234 की उत्तर-पश्चिमी सीमा, खापा ग्राम एवं 233, 431, पी एफ 449 की पश्चिमी सीमा।

कुमभपानी रेंज**उत्तरी सीमा -**

आर एफ 1401 की उत्तरी सीमा से आर एफ 1402 की उत्तरी सीमा, आर एफ 1403 पश्चिमी और उत्तरी सीमा, कान्हासागर दाझीर ग्राम की उत्तरी सीमा, बंशखाड़ा ग्राम की उत्तर-पश्चिमी सीमा से पेंच नदी के साथ कोनापिंडरी ग्राम की उत्तरी सीमा।

पूर्वी सीमा -

कोनापिंडरी ग्राम की पूर्वी सीमा से गुमतारा श्रेणी, कम्पार्टमेंट सं. 1422 पेंच नदी के साथ इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान।

दक्षिणी सीमा -

कम्पार्टमेंट आर एफ 1422 से 1443 इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय उद्यान सीमा रेखा। बफर जोन में कम्पार्टमेंट 1443 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा, आर एफ 1498 और 1502 की दक्षिणी सीमा चौरागांव ग्राम की दक्षिणी सीमा तक।

पश्चिमी सीमा -

चौरागांव एवं खमरिया एवं बंधनमाल ग्राम की पश्चिमी सीमा, पी एफ 1408 एवं ग्राम बंधन रयात आर एफ 1402 की पश्चिमी सीमा, आर एफ 1401 की दक्षिणी सीमा तक।

खामरपानी रेंज -**उत्तरी सीमा -**

आर एफ 1487 की पश्चिमी उत्तरी सीमा, आर एफ 1490 की उत्तरी सीमा, सलीवारा ग्राम की पश्चिमी सीमा, पी एफ 1491 की उत्तरी सीमा, सिलोता खुर्द ग्राम की पश्चिमी सीमा, सिलोता कलान की पश्चिमी उत्तरी सीमा, चौरागांव एवं खमरिया ग्राम की पश्चिमी सीमा, बोरदी ग्राम की उत्तरी सीमा, पी एफ 1497 की उत्तरी सीमा से कम्पार्टमेंट सं. 1443 राष्ट्रीय उद्यान की सीमा तक।

पूर्वी सीमा -

कम्पार्टमेंट सं. 1443 से 1465 इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा तक।

दक्षिणी सीमा -

कम्पार्टमेंट सं. 1465 से ग्राम थूयपानी और चिरावनी और कुंडई की इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा।

पश्चिमी सीमा -

कुंडई ग्राम की दक्षिणी सीमा, बिसनपुर, सवरी, देवरी, कान्हासागर, खामरपानी, देनी ग्राम की पश्चिमी सीमा, आर एफ 1483, करहैया ग्राम, पी एफ 1486, अंतरा ग्राम, आर एफ 1487 की पश्चिमी उत्तरी सीमा।

उपाबंध-II

**पेंच बाघ रिजर्व (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य),
मध्य प्रदेश की सीमा के भू-निर्देशांक**

क्र. सं.	जी पी एस	देशांतर	अक्षांश
1.	ई01	79°30.475'पू	21°53.747'उ
2.	ई02	79°32.012'पू	21°52.378'उ
3.	ई03	79°30.217'पू	21°48.994'उ
4.	ई04	79°26.390'पू	21°46.212'उ
5.	ई05	79°21.965'पू	21°47.766'उ
6.	ई06	79°21.314'पू	21°41.099'उ
7.	ई07	79°14.327'पू	21°42.814'उ
8.	ई08	79°31.421'पू	21°38.899'उ
9.	ई09	79°9.042'पू	21°39.606'उ
10.	ई10	79°9.887'पू	21°42.969'उ
11.	ई11	79°9.031'पू	21°45.133'उ
12.	ई12	79°11.509'पू	21°48.018'उ
13.	ई13	79°14.418'पू	21°50.659'उ
14.	ई14	79°18.288'पू	21°50.084'उ
15.	ई15	79°22.419'पू	21°49.278'उ
16.	ई16	79°23.411'पू	21°51.487'उ

17.	ई17	79°27.156'पू	21°50.588'उ
18.	ई18	79°28.233'पू	21°52.215'उ

**पेंच बाघ रिजर्व (इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभयारण्य),
मध्य प्रदेश की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक**

क्र. सं.	जी पी एस	देशांतर	अक्षांश
1.	ई01	79° 7.968'पू	21° 38.613'उ
2.	ई02	79° 5.71'पू	21° 43.143'उ
3.	ई03	79° 5.251'पू	21° 45.092'उ
4.	ई04	79° 5.209'पू	21° 45.833'उ
5.	ई05	79° 5.59'पू	21° 46.267'उ
6.	ई06	79° 5.37'पू	21° 46.409'उ
7.	ई07	79° 5.45'पू	21° 46.863'उ
8.	ई08	79° 5.685'पू	21° 46.802'उ
9.	ई09	79° 5.632'पू	21° 46.386'उ
10.	ई10	79° 5.976'पू	21° 46.467'उ
11.	ई11	79° 14.612'पू	21° 54.816'उ
12.	ई12	79° 19.322'पू	21° 57.02'उ
13.	ई13	79° 18.18'पू	21° 52.171'उ
14.	ई14	79° 22.114'पू	21° 53.694'उ
15.	ई15	79° 21.338'पू	21° 51.254'उ
16.	ई16	79° 24.589'पू	21° 53.961'उ
17.	ई17	79° 30.201'पू	21° 54.973'उ
18.	ई18	79° 38.572'पू	21° 55.215'उ
19.	ई19	79° 39.678'पू	21° 52.475'उ
20.	ई20	79° 44.254'पू	21° 53.752'उ
21.	ई21	79° 47.407'पू	21° 50.822'उ
22.	ई22	79° 44.524'पू	21° 48.27'उ
23.	ई23	79° 38.431'पू	21° 46.719'उ
24.	ई24	79° 38.522'पू	21° 49.321'उ
25.	ई25	79° 30.807'पू	21° 46.772'उ
26.	ई 26	79° 25.564'पू	21° 41.427'उ
27.	ई 27	79° 21.069'पू	21° 40.592'उ

उपाबंध-III

पेंच बाघ रिजर्व (पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मोगली अभयारण्य), के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम	अक्षांश			देशांतर		
		डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	तीकारी मल	21	50	38.80	79	17	43.40
2.	तीकारी रयात	21	50	37.20	79	17	45.80
3.	करमाञ्जिरी (एफ वी)	21	49	38.40	79	19	11.70
4.	बरेलीपार	21	50	18.70	79	20	58.70
5.	सलाहाई	21	51	12.90	79	21	53.10
6.	सिमरिया	21	53	8.20	79	25	18.00
7.	साराहरी	21	52	6.60	79	22	42.40
8.	भोदकी	21	51	57.40	79	23	15.40
9.	तेवनी	21	52	39.70	79	23	18.90
10.	घाट कोहका	21	52	43.20	79	24	7.20
11.	कटान्गी	21	51	37.60	79	24	16.80
12.	मुरेर (एफ वी)	21	51	4.00	79	24	55.90
13.	पंजरा	21	52	26.10	79	25	21.20
14.	सिंदारिया	21	52	27.40	79	25	59.50
15.	धुतेरा	21	51	44.90	79	26	38.20
16.	मोहगांव तितरी	21	53	45.40	79	26	51.90
17.	पतराई	21	52	28.00	79	27	7.90
18.	निवारी	21	53	43.20	79	27	49.60
19.	अलेसुर	21	52	56.80	79	28	45.90
20.	अगरी	21	53	45.90	79	29	33.50
21.	पारासपानी	21	51	24.60	79	20	3.70
22.	राययारौ	21	47	52.50	79	27	54.80
23.	पिण्डकापर	21	48	27.10	79	30	30.30
24.	कोदाञ्जीर	21	47	28.50	79	29	20.60
25.	सेतेवानी	21	46	34.40	79	28	45.70
26.	पोतिया	21	46	45.40	79	27	7.10
27.	अमबारी	21	46	55.00	79	27	7.10
28.	खामरीथ	21	46	11.80	79	22	21.80
29.	मामबा	21	45	53.90	79	22	27.60
30.	विजयपानी	21	45	22.40	79	23	55.90
31.	जीरिवारा	21	45	13.10	79	25	33.60
32.	मोहगांव यादव	21	45	44.60	79	27	19.20
33.	दुर्गापुर	21	44	48.60	79	21	26.50

34.	सतोशा	21	44	54.00	79	22	12.70
35.	अम्बाझीरी	21	44	15.80	79	24	46.30
36.	तेलिया	21	41	55.00	79	22	15.60
37.	आवारघानी	21	43	56.40	79	21	7.60
38.	कुप्पीटोला	21	44	2.80	79	23	21.20
39.	नयागांव	21	43	56.20	79	26	49.30
40.	मुन्डीयारीथ	21	43	51.20	79	25	9.20
41.	पचधार	21	43	36.20	79	26	51.70
42.	कोहका	21	42	54.90	79	21	51.20
43.	तुरिया	21	44	5.80	79	21	57.80
44.	अरजुनी	21	40	44.20	79	23	17.90
45.	कोथर (एफ वी)	21	41	31.10	79	25	26.10
46.	साखादेही	21	54	51.60	79	35	59.30
47.	दरासी खुर्द	21	54	32.80	79	37	34.40
48.	दरासी कला	21	54	21.50	79	38	9.90
49.	सवानगी (एफ वी)	21	48	57.30	79	35	9.30
50.	बवानथादी (एफ वी)	21	48	55.25	79	34	20.38
51.	गंदाटोला या रुखाद	21	52	15.90	79	31	36.90
52.	नयेगांव (एफ वी)	21	53	55.90	79	34	46.60
53.	खापा	21	53	35.00	79	38	27.00
54.	अतारवानी	21	52	14.30	79	40	3.00
55.	मगरकाथा	21	52	27.40	79	40	34.60
56.	पंदायेर	21	53	36.90	79	42	43.00
57.	दुल्हापुर (बापुटोला)	21	53	8.30	79	44	23.10
58.	मोहगांव (एफ वी)	21	48	56.00	79	39	22.00
59.	मिर्छवाडी	21	51	20.43	79	44	54.84
60.	सकाटा (एफ वी)	21	51	19.70	79	44	55.40
61.	कुरई	21	48	47.52	79	30	11.62
62.	बंसखेडा	21	53	24.80	79	14	30.00
63.	कुम्भपानी (एफ वी)	21	52	16.70	79	16	0.50
64.	दावाझीर	21	52	5.00	79	13	13.40
65.	जमतारा	21	50	38.90	79	15	0.90
66.	कान्हासागर	21	51	3.60	79	11	44.20
67.	थोटा मल	21	51	5.00	79	12	1.30
68.	थोटा रैयात	21	50	53.20	79	12	26.00
69.	नाहरझीर	21	50	11.70	79	12	46.10
70.	बंधन मल	21	49	8.50	79	10	18.20
71.	पथरी	21	49	15.00	79	11	48.60
72.	बंधन रैयात	21	48	49.30	79	9	43.10

73.	गुमतारा	21	48	25.00	79	13	10.20
74.	पथरा खुर्द	21	48	22.80	79	11	51.00
75.	खामरिया	21	48	46.70	79	8	56.00
76.	सिंगरदीप	21	47	43.90	79	9	47.40
77.	घारगांव	21	47	2.90	79	8	32.00
78.	कोनापिंडराई	21	56	3.10	79	19	56.30
79.	साजपानी	21	56	4.50	79	17	12.80
80.	हलाल कला	21	48	18.40	79	18	5.10
81.	हलाल खुर्द	21	55	3.10	79	18	31.30
82.	मदरीया	21	54	39.50	79	15	52.20
83.	कोकीवारा	21	53	32.50	79	15	4.50
84.	धौलपुर	21	53	26.80	79	15	3.00
85.	खरंज (एफ वी)	21	50	55.10	79	8	43.20
86.	सलीवाडा	21	44	21.60	79	6	49.60
87.	अंतरा	21	45	32.00	79	5	57.20
88.	दोंगरगांव	21	44	21.60	79	6	57.90
89.	कधिया	21	48	22.50	79	11	50.80
90.	दैनी	21	42	7.90	79	6	44.10
91.	मरजातपुर	21	45	29.90	79	6	1.20
92.	पुलपुलदोह	21	43	19.40	79	7	1.70
93.	खामरपानी	21	44	21.60	79	5	59.10
94.	दुधगांव	21	42	6.80	79	10	35.90
95.	कंनहारगांव	21	42	6.80	79	6	43.60
96.	देवरी	21	44	54.50	79	7	5.40
97.	मोहगांव खुर्द	21	40	39.30	79	9	5.50
98.	सनवारी	21	44	2.50	79	7	44.20
99.	थुयेपानी	21	40	10.50	79	8	43.90
100.	चिरेवानी	21	9	7.80	79	8	48.30
101.	बासनपुर	21	39	33.70	79	7	9.20
102.	बोरदी	21	46	21.80	79	9	18.40
103.	सिरेपानी	21	45	16.70	79	10	49.10
104.	पथरा कला	21	40	10.50	79	8	48.30
105.	कोकीवारा	21	45	16.90	79	10	43.30
106.	कुनदई	21	39	13.90	79	7	26.90
107.	सिलोता कला	21	47	5.20	79	7	46.30
108.	सिलोता खुर्द	21	46	33.60	79	8	14.50

उपाबंध IV

पेंच-कान्हा और पेंच-सतपुडा के लिए न्यूनीकरण उपाय

पेंच-कान्हा और पेंच-सतपुडा के गलियारे में न्यूनीकरण उपाय संबंधित मध्य प्रदेश सरकार क्षेत्रीय प्रभागों द्वारा किए जाने हैं, योग्यता पर मुद्दों को संबोधित कर रही है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड जैसे गैर-सरकारी संगठन और अन्य भी इन गलियारों पर कार्य कर रहे हैं। गलियारे क्षेत्र में ग्रामों के ग्राम निवासी है जहां गलियारे को मजबूत करने के लिए उन्हें स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और यदि वे तैयार हैं तो उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है और उनका पुनर्वास किया जा सकता है। बालाघाट जिले के सोनवानी रेंज के एक ग्राम को स्थानांतरित कर दिया गया है और कुछ लोग पुनर्वास के रास्ते में हैं।

- (i) गलियारे क्षेत्र में कोई नए खनन किआकलाप नहीं किए गए हैं।
- (ii) गलियारे में ग्रामों में गहन पारिस्थितिकी-विकास कार्य ताकि वनों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके, विशेष रूप से चराई और ईंधन के निष्कासन से जो इन वनों को नष्ट कर रहे हैं। दोनों गलियार क्षेत्रों में ग्रामों में पारिस्थितिकी-विकास कार्य किए जाते हैं। उदाहरण के लिए खमारपानी और नवागांव के ग्रामीणों को जमीन के संगत हिस्सों के गलियारे के मूल्य के अनुरूप जीवनशैली और आजीविका के विकल्प (खेती के नियम सहित) अपनाने की अपनी क्षमता का निर्माण करना है।
- (iii) मानव-बाघ (वन्यजीव) संघर्ष को प्रबंधित करने के लिए इसके कमजोर बिंदुओं जैसे खमारपानी, नवागांव, लवघोगरी, सोनली आदि को मजबूत करना आवश्यक है।
- (iv) वन्यजीव अपराध रोकथाम, वन्यजीव जनसंख्या निगरानी, जैव विविधता संरक्षण, आवास प्रबंधन और मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए वन कर्मचारियों की क्षमता निर्माण कार्यक्रम दीर्घकालिक आधार के लिए गलियारे को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है।
- (v) सिवनी और छिंदवाड़ा से नागपुर तक रेलवे लाइन और राज्य राजमार्ग के लिए उपयुक्त उपाय ताकि पशु संचलन को सुविधाजनक बनाया जा सके। बाघ और अन्य पशु संचलन को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-7 में न्यूनीकरण उपायों को अपनाया गया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला है। पशु 5 मीटर की ऊँचाई तक, ध्वनिक दीवारों आदि के नीचे से गुजरते हैं।
- (vi) अंत में, पेंच-सतपुडा और पेंच-कान्हा वन्यजीव गलियारा जीन प्रवाह को बनाए रखने में प्रभावी और कार्यात्मक है और इस परिदृश्य में आनुवंशिक भिन्नता और बाघों की दृढ़ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीर्घकालिक न्यूनीकरण उपाय निरंतर प्रक्रिया है और मध्य प्रदेश विभाग लगातार इस पर कार्य कर रहा है कि गलियारों को पशु संचलन के लिए अधिक प्रभावी और व्यवहार्य बनाया जा सके, बाघ फैलाव के लिए अच्छा जीन प्रवाह हो।

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2019

S.O. 4009(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2030 (E), dated the 21st May, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 22nd May, 2018;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

AND WHEREAS, the Indira Priyadarsini Pench National Park is located in Seoni and Chhindwara districts and the Pench Mowgali Sanctuary is confined to Kurai block of Seoni district of Madhya Pradesh. The buffer area includes part of Reserve and Protected Forests of South Seoni Division in Seoni district and East and South Chhindwara Divisions of Chhindwara district. The Core Area / Critical Tiger Habitat of Pench Tiger Reserve is situated at the geographical coordinates at Longitude 79° 08' 51" to 79° 31' 55" E and Latitude 21° 38' 55" to 21° 53' 52" N with Core Area of 411.33 sq. kms;

AND WHEREAS, the Core Area of Pench Tiger Reserve is comprised of Indira Priyadarshini Pench National Park and Pench Mowgli Sanctuary. The management of Pench Mowgli Sanctuary was assigned to the Pench Tiger Reserve in the year 1995 *vide* the Government of Madhya Pradesh Forest Department's Notification F – 14/176/94/10/2, Bhopal, dated 29th March, 1995. The area of National Park and Sanctuary is declared as Core of Pench Tiger Reserve Seoni in 2007. *vide* MP Government Forest Department notification No. F 15-31-2007-X-2 dated 24.12.2007. The buffer area of 768.300 square kilometres has been finally notified by Madhya Pradesh Government Forest Department notification no. F-15-8/2009/10-2, dated the 5th October, 2010. The buffer zone is under the direct control of three territorial divisions like South Seoni division, East Chhindwara division and South Chhindwara division. The process is on to give this area under control of Field Director, Pench Tiger Reserve;

AND WHEREAS, the Pench Tiger Reserve has its importance in the natural history of central India. Many eulogies of its natural beauty and its richness in fauna and flora have appeared in numerous literatures dating back to the 17th century. Books, pertaining to 19th and early 20th century, by famous naturalists like John Forsyth (High lands of central India), Robert Armitage Sterndale (Camp life in Seoni, and Mammals of India:), Dunbar Brander (Wild animals in Central India) and Rudyard Kipling (Jungle book) explicitly present the detailed panorama of nature's abundance in this tract of Satpura hill ranges;

AND WHEREAS, the area of Pench Tiger Reserve is also popularly known as Mowgli land. A boy named Mowgli, brought up by a herd of wolves was found in the Sant Bawadi village by Lieutenant John Moor under the guidance of Colonel William Sleeman in 1831. Kipling got this flamboyant description of things both from the pamphlet titled, "An account of wolves nurturing children in their dens" by Sir William Henry Sleeman and a book on 'Camp Life of Seoni' by Robert Armitage Sterndale. The Jungle Book mentions a place where Sher Khan was killed. This place is in fact the Valley of Benganga River, near Kanhiwada village. At the present time, these places of historical significance are falling under the famous Pench National Park. Central Highlands of India is one of the most important habitats in the world for the conservation of highly endangered great cat "Tiger". The Pench Tiger Reserve is centrally located in these highlands. It is connected to Kanha by forest of Seoni, Balaghat and Mandla districts and southern side is contiguous with Pench Tiger Reserve of Maharashtra;

The wetlands of Pench Tiger Reserve are of great significance in the context of conservation of avian fauna, as it not only provides suitable habitat for the residential birds; but also provide wintering grounds for many waterfowls. The islands in Totaladoh reservoir provide nesting grounds to many island nesting birds like River Tern, Small Pratincol and Little Tern. That's why this area is included in important bird area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarsini Pench National Park and Mowgali Pench Sanctuary) as eco-sensitive zone from ecological and environmental point of view;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varies from zero to 27 kilometres around the boundary of Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarsini Pench National Park and Mowgali Pench Sanctuary) in the State of Madhya Pradesh as the Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarsini Pench National Park and Mowgali Pench Sanctuary) Eco-sensitive Zone (herein after in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**—(1) The total area of the eco-sensitive zone of Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarsini Pench National Park and Mowgali Pench Sanctuary) is 771.537 square kilo meters covering entire notified buffer area of Pench Tiger Reserve, Indira Priyadarshini Pench National Park and Pench Mowgli Sanctuary, and whenever buffer does not exist around core and extent of buffer is less than 2 kilometre from the boundary of core in such locations the Eco-sensitive Zone will be up to 2 kilometre from the core boundary irrespective of ownership, falls in Seoni and Chhindwara Districts in the Madhya Pradesh. The extent of Eco-Sensitive Zone varies from zero (due to Inter-State boundary and also the Pench Tiger Reserve, Madhya Pradesh contiguous to Pench Tiger Reserve, Maharashtra on southern side) to 27 kilometers.

(2) The map of the Eco-Sensitive Zone boundary along with boundary description is at **Annexure-I**.

(3) The list of geo co-ordinates of the boundary of the protected area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure II**.

(4) The list of villages falls in the Eco-sensitive zone is appended as **Annexure III**.

(5) Mitigation measure for pench-Kanha and Pench-Satpura is appended as **Annexure-IV**.

2. **Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.** - (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;

- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj; and
- (xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for Security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for Security of local communities livelihood.

3. Measures to be taken by the State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.** – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction

of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism.**— (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.**— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**—Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) **Air pollution.**— Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**— Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.**—Disposal and management of solid wastes shall be as under:—

(i) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;

the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone.

- (ii) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste. – Bio-Medical Waste Management shall be as under-

- (i) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (ii) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-Waste.- The E-Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel like CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units. – (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone

	quarrying and crushing units.	<p>quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.</p>
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	<p>New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:</p> <p>Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the, non-polluting cottage industries shall be promoted.</p>
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Use of plastic bags	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
11.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p>

		(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
24.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
25.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.

26.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

4. Monitoring Committee. -For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government within three months hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Divisional Commissioner, Jabalpur	—Chairperson;
(ii)	Representative of State Pollution Control Board-	—Member;
(iii)	One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government	—Member;
(iv)	A representative nominated by the Forest and Environment Department of Madhya Pradesh-	—Member;
(v)	An (expert in Biodiversity to be nominated by the State Government	—Member;
(vi)	An expert in Ecology and environment to be nominated by the State	
(vii)	Government- Member;In charge Protected Area-	— Member Secretary.

6. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.


8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.


[F. No. 25/54/2017-ESZ]


Dr. S. C. GARKOTI, Scientist 'G'

Annexure-I

Map of PENCH Tiger Reserve (Indira Priyadarsini PENCH National Park and Mowgali PENCH Sanctuary), Madhya Pradesh along with Eco-Sensitive Zone







Boundaries of the Eco-sensitive Zone around Pech Tiger Reserve (Indira Priyadarsini Pech National Park and Mowgali Pech Sanctuary)

(1) Range Ghatkohka –

Notern Boundary – Pech river to northern boundary of compartment no RF 379, southern boundary of Richhi forest village in compartment no. 383, northern boundary of RF 382, western - northern and eastern boundary of RF 381, northern boundary of RF 395, northern – eastern and southern boundary of Simariya village, eastern boundary of village Paraspani, northern boundary of village Barelipar, western boundary of village Salhe and Sarrahirri, northern boundary of village Teoni and Ghatkohka, northern – eastern boundary of PF 451, northern boundary of village Panjra and Sindariya, western and northern boundary of village Mohgaon, northern boundary of Village Niwari, western – northern boundary of village Agri, northern – eastern boundary of PF 455 (NH-7).

Eastern Boundary – Eastern boundary of PF 455 in Buffer Zone.

Southern Boundary – Boundary of Pech Mowgli Sanctuary (Compartment no. 644 to 615), northern boundary of RF 616 of Range Karmajhiri's Indira Priyadarshini Pech National Park to northern boundary of 592 (National Park Boundary).

Western Boundary – Northern – western boundary of compartment No. 592 of Indira Priyadarshini Pech National Park to Pech river (Seoni – Chhindwara District Line) to western boundary of Compartment No. 379.

Range – Khawasa –

Notern Boundary -

Southern Boundary of Comptt. RF 616 in Indira Priyadarshini Pech National Park to Southern boundary of Pech Mowgli Sanctuary from compartment. No 618 to 659 (NH-7)

Eastern Boundary-

Eastern boundary of Village Pindkapar to northern eastern southern boundary of Comp No P- 267 to southern boundary of village Kothar (NH- 7).

Southern Boundary-

Southern Boundary of comptt. 330 village Kothar, eastern southern boundary of Comp 329, southern boundary of village Arjuni and RF 605 (Indira Priyadarshini Pech National Park)

Western boundary-

Southern Boundary of RF 605 to 616 upto Indira Priyadarshini Pech National Park

Range Rukhad

Notern Boundary-

Western, northern and eastern boundary of PF 456 of buffere zone, Notern Boundary of RF 417, 418 and 420, Notern boundary village Shakadehi and Darasi Khurd, northern eastern boundary of village Darasi Kalan.

Eastern Boundary-

From northern eastern boundary of Village Darasi Kalan to Eastern boundary of PF 448, RF 430, 405, 235, 236 and 239.

Southern Boundary-

Southern boundary of RF 239 to Southern boundary of 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245 and 246 upto NH – 7

Western boundary – NH-7 along western boundary of compartment no. 246 to 456 of buffer zone.

Range – Ari

Notern boundary – Northern eastern boundary of village Darasikala, Eastern boundary of village Khapa and PF 449 and eastern boundary of RF 431, Northern Boundary of RF 193 and village Atarwani and RF 197 and village Magarkatha and RF 188, Western northern boundary of RF 185, western boundary of RF 205, western northern boundary of village Pandayer, Northern Eastern boundary of Village Dulhapur and Baputola, Eastern boundary of PF 204 upto Western Notern eastern boundary of RF 174.

Eastern Boundary-

Eastern boundary of RF 174, Notern boundary of 168, 166 and 165, Eastern boundary of RF 164, 163 and 162.

Southern Boundary-

Southern boundary of RF 161, 160, 159, 158 and 222 (Seoni – Balaghat Distict boundary line), Southern boundary of RF 222, 225, 218, Eastern Southern Western boundary of RF 215, Western boundary of RF 216 and 217 and 230, Southern boundary of RF 231, PF 271 and Eastern boundary of RF 239.

Western Boundary-

North - Western boundary of RF 234, western boundary 233, 431, PF 449 and village Khapa.

Range Kumbhpani**Northern Boundary-**

Northern boundary of RF 1401 to northern boundary of RF 1402, western northern boundary of RF 1403, northern boundary village Kanhasagar Dawajhir, Western northern boundary of village Banskhada to Northern boundary of village Konapindri along Pench River.

Eastern boundary-

Eastern boundary of village Konapindri to Range Gumtara, Compartment No. 1422 of Indira Priyadarshini Pench National Park along Pench River

Southern Boundary-

Indira Priyadarshini Pench National Park comptt. RF 1422 to 1443 National Park boundary line. Southern western boundary of comptt. 1443 part in buffer zone, Southern boundary of RF 1498 and 1502 upto Southern boundary of village Chargaon.

Western Boundary-

Western boundary of Village Chargaon and Khamariya and Bandhanmal, Western boundary of PF 1408 and village Bandhan Rayat RF 1402 upto Southern boundary of RF 1401.

Range Khamarpani-**Northern Boundary-**

Western Northern boundary of RF 1487, northern boundary of RF 1490, Northern boundary of village Saliwara, Northern boundary of PF 1491, Western boundary of village Silota Khurd, Western northern boundary of Silota Kalan, Western boundary of village Chargaon and Khamariya, Northern boundary of village Bordi, Northern boundary of PF 1497 upto National Park boundary at comptt. No. 1443.

Eastern Boundary-

Indira Priyadarshini Pench National Park comptt. No 1443 to 1465 upto boundary line of National Park.

Southern Boundary-

Indira Priyadarshini Pench National Park comptt. No. 1465 to southern boundary of village Thuiyapani and Chirrevani and Kundai.

Western Boundary-

Southern boundary of village Kundai, Western boundary of village Bisanpur, Sawari, Devri, Kanhargaon, Khamarpani, Deni, RF 1483, village Karhaiya, PF 1486, Village Antra, western northern boundary of RF 1487.

Annexure-II

Geo Co-ordinates of boundary of Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarsini Pench National Park and Mowgali Pench Sanctuary), Madhya Pradesh

S.No.	GPS	Longitude	Latitude
1.	E01	79°30.475'E	21°53.747'N
2.	E02	79°32.012'E	21°52.378'N
3.	E03	79°30.217'E	21°48.994'N
4.	E04	79°26.390'E	21°46.212'N
5.	E05	79°21.965'E	21°47.766'N
6.	E06	79°21.314'E	21°41.099'N

7.	E07	79°14.327'E	21°42.814'N
8.	E08	79°31.421'E	21°38.899'N
9.	E09	79°9.042'E	21°39.606'N
10.	E10	79°9.887'E	21°42.969'N
11.	E11	79°9.031'E	21°45.133'N
12.	E12	79°11.509'E	21°48.018'N
13.	E13	79°14.418'E	21°50.659'N
14.	E14	79°18.288'E	21°50.084'N
15.	E15	79°22.419'E	21°49.278'N
16.	E16	79°23.411'E	21°51.487'N
17.	E17	79°27.156'E	21°50.588'N
18.	E18	79°28.233'E	21°52.215'N

Geo-co-ordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarshini Pench National Park and Mowgali Pench Sanctuary), Madhya Pradesh

SL. NO.	GPS	Longitude	Latitude
1.	E01	79° 7.968'E	21° 38.613'N
2.	E02	79° 5.71'E	21° 43.143'N
3.	E03	79° 5.251'E	21° 45.092'N
4.	E04	79° 5.209'E	21° 45.833'N
5.	E05	79° 5.59'E	21° 46.267'N
6.	E06	79° 5.37'E	21° 46.409'N
7.	E07	79° 5.45'E	21° 46.863'N
8.	E08	79° 5.685'E	21° 46.802'N
9.	E09	79° 5.632'E	21° 46.386'N
10.	E10	79° 5.976'E	21° 46.467'N
11.	E11	79° 14.612'E	21° 54.816'N
12.	E12	79° 19.322'E	21° 57.02'N
13.	E13	79° 18.18'E	21° 52.171'N
14.	E14	79° 22.114'E	21° 53.694'N
15.	E15	79° 21.338'E	21° 51.254'N
16.	E16	79° 24.589'E	21° 53.961'N
17.	E17	79° 30.201'E	21° 54.973'N
18.	E18	79° 38.572'E	21° 55.215'N
19.	E19	79° 39.678'E	21° 52.475'N
20.	E20	79° 44.254'E	21° 53.752'N
21.	E21	79° 47.407'E	21° 50.822'N
22.	E22	79° 44.524'E	21° 48.27'N
23.	E23	79° 38.431'E	21° 46.719'N
24.	E24	79° 38.522'E	21° 49.321'N
25.	E25	79° 30.807'E	21° 46.772'N
26.	E26	79° 25.564'E	21° 41.427'N
27.	E27	79° 21.069'E	21° 40.592'N

Annexure III

List of villages within the Eco Sensitive Zone of Pench Tiger Reserve (Pench National Park and Pench Mowgli Sanctuary)

S.No.	Village	Latitude			Longitude		
		DD	MM	SEC	DD	MM	SEC
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tikari mal	21	50	38.80	79	17	43.40
2	Tikari Rayat	21	50	37.20	79	17	45.80
3	Karmajhiri (FV)	21	49	38.40	79	19	11.70
4	Barelipar	21	50	18.70	79	20	58.70
5	Salahai	21	51	12.90	79	21	53.10
6	Simariya	21	53	8.20	79	25	18.00
7	Sarahari	21	52	6.60	79	22	42.40
8	Bhodki	21	51	57.40	79	23	15.40
9	Tevni	21	52	39.70	79	23	18.90
10	Ghat kohka	21	52	43.20	79	24	7.20
11	Katangi	21	51	37.60	79	24	16.80
12	Murer (FV)	21	51	4.00	79	24	55.90
13	Panjra	21	52	26.10	79	25	21.20
14	Sindaria	21	52	27.40	79	25	59.50
15	Dhutura	21	51	44.90	79	26	38.20
16	Mohgaon titri	21	53	45.40	79	26	51.90
17	Patrai	21	52	28.00	79	27	7.90
18	Niwari	21	53	43.20	79	27	49.60
19	Alesur	21	52	56.80	79	28	45.90
20	Agri	21	53	45.90	79	29	33.50
21	Paraspani	21	51	24.60	79	20	3.70
22	Raiyarao	21	47	52.50	79	27	54.80
23	Pindkapar	21	48	27.10	79	30	30.30
24	Kodajhir	21	47	28.50	79	29	20.60
25	Setewani	21	46	34.40	79	28	45.70
26	Potia	21	46	45.40	79	27	7.10
27	Ambari	21	46	55.00	79	27	7.10
28	Khamreeth	21	46	11.80	79	22	21.80
29	Kmamba	21	45	53.90	79	22	27.60
30	Vijaypani	21	45	22.40	79	23	55.90
31	Jeerewara	21	45	13.10	79	25	33.60
32	Mohgaon yadav	21	45	44.60	79	27	19.20
33	Durgapur	21	44	48.60	79	21	26.50
34	Satosha	21	44	54.00	79	22	12.70
35	Ambajhiri	21	44	15.80	79	24	46.30
36	Telia	21	41	55.00	79	22	15.60

37	Awarghani	21	43	56.40	79	21	7.60
38	Kuppitola	21	44	2.80	79	23	21.20
39	Nayagaon	21	43	56.20	79	26	49.30
40	Mundiareeth	21	43	51.20	79	25	9.20
41	Pachdhar	21	43	36.20	79	26	51.70
42	Kohka	21	42	54.90	79	21	51.20
43	Turia	21	44	5.80	79	21	57.80
44	Arjuni	21	40	44.20	79	23	17.90
45	Kothar (FV)	21	41	31.10	79	25	26.10
46	Sakhadehi	21	54	51.60	79	35	59.30
47	Darasi khurd	21	54	32.80	79	37	34.40
48	Darasi kala	21	54	21.50	79	38	9.90
49	Savangi (FV)	21	48	57.30	79	35	9.30
50	Bavanthadi (FV)	21	48	55.25	79	34	20.38
51	Gandatola or Rukhad	21	52	15.90	79	31	36.90
52	Nayegaon (FV)	21	53	55.90	79	34	46.60
53	Khapa	21	53	35.00	79	38	27.00
54	Atarwani	21	52	14.30	79	40	3.00
55	Magarkatha	21	52	27.40	79	40	34.60
56	Pandayer	21	53	36.90	79	42	43.00
57	Dulhapur (Baputola)	21	53	8.30	79	44	23.10
58	Mohgaon (FV)	21	48	56.00	79	39	22.00
59	Mirchhwadi	21	51	20.43	79	44	54.84
60	Sakata (FV)	21	51	19.70	79	44	55.40
61	Kurai	21	48	47.52	79	30	11.62
62	Banskheda	21	53	24.80	79	14	30.00
63	Kumbhpani (FV)	21	52	16.70	79	16	0.50
64	Dawajhir	21	52	5.00	79	13	13.40
65	Jamtara	21	50	38.90	79	15	0.90
66	Kanhasagar	21	51	3.60	79	11	44.20
67	Thotamal	21	51	5.00	79	12	1.30
68	Thota raiyat	21	50	53.20	79	12	26.00
69	Naharjhir	21	50	11.70	79	12	46.10
70	Bandhan mal	21	49	8.50	79	10	18.20
71	Pathri	21	49	15.00	79	11	48.60
72	Bandhan raiyat	21	48	49.30	79	9	43.10
73	Gumtara	21	48	25.00	79	13	10.20
74	Pathra khurd	21	48	22.80	79	11	51.00
75	Khamariya	21	48	46.70	79	8	56.00
76	Singardeep	21	47	43.90	79	9	47.40
77	Ghargaon	21	47	2.90	79	8	32.00
78	Konapindrai	21	56	3.10	79	19	56.30

79	Sajpani	21	56	4.50	79	17	12.80
80	Halal kala	21	48	18.40	79	18	5.10
81	Halal khurd	21	55	3.10	79	18	31.30
82	Madariya	21	54	39.50	79	15	52.20
83	Kokiwara	21	53	32.50	79	15	4.50
84	Dhoulpur	21	53	26.80	79	15	3.00
85	Kharanj (FV)	21	50	55.10	79	8	43.20
86	Saliwada	21	44	21.60	79	6	49.60
87	Antra	21	45	32.00	79	5	57.20
88	Dongargaon	21	44	21.60	79	6	57.90
89	Kadhiya	21	48	22.50	79	11	50.80
90	Dainy	21	42	7.90	79	6	44.10
91	Marjatpur	21	45	29.90	79	6	1.20
92	Pulpuldoh	21	43	19.40	79	7	1.70
93	Khamarpani	21	44	21.60	79	5	59.10
94	Dudhgaon	21	42	6.80	79	10	35.90
95	Kanhargaon	21	42	6.80	79	6	43.60
96	Devri	21	44	54.50	79	7	5.40
97	Mohgaon khurd	21	40	39.30	79	9	5.50
98	Sanwari	21	44	2.50	79	7	44.20
99	Thuyepani	21	40	10.50	79	8	43.90
100	Chirrewani	21	9	7.80	79	8	48.30
101	Basanpur	21	39	33.70	79	7	9.20
102	Bordi	21	46	21.80	79	9	18.40
103	Sirrepani	21	45	16.70	79	10	49.10
104	Pathra kala	21	40	10.50	79	8	48.30
105	Kokiwara	21	45	16.90	79	10	43.30
106	Kundai	21	39	13.90	79	7	26.90
107	Silota kala	21	47	5.20	79	7	46.30
108	Silota khurd	21	46	33.60	79	8	14.50

Annexure-IV**Mitigation measure for pench-Kanha and Pench-Satpura**

The mitigation measures in corridor of Pench – Kanha and Pench – Satpura are to be done by concerned territorial divisions Madhya Pradesh Government is addressing the issues on merit. Non-Government Organisations like World Wild Fund and others are also working on these corridors. Villagers residing of the villages in corridor area where there is a need to relocate them to strengthen the Corridor and if they are willing can be shifted and rehabilitated. One village in Sonewani Range of Balaghat District has been relocated and few are on way to relocation.

- (i) No new mining activity in the corridor area.
- (ii) Intensive eco-development work in the villages in the corridor so as to reduce the adverse impact on the forests, especially from grazing and fuelwood removals which are degrading these forests. Eco-development works in villages are taken place in both the corridors area. For example Khamarpani and Nawegaon villagers have been sensitized and to build their capacity for adopting lifestyle and livelihood

options (including the cultivation regimes) compatible with corridor value of corresponding stretches of land.

- (iii) Managing the man-tiger (wildlife) conflict is required for strengthening the said corridor at its weak points e.g. Khamarpani, Nawegaon, Lavaghogri, Saonli etc.
- (iv) Capacity building programme of forest staff on wildlife crime prevention, wildlife population monitoring, biodiversity conservation, habitat management and handling human wildlife conflict is essential to secure corridor for long term basis.
- (v) Appropriate measures for the railway line and State Highway to Nagpur from Seoni and Chhindwara so as to facilitate animal movements. Lot of mitigation measures has been adopted in NH-7 to facilitate Tiger and other animal movements. It is first of its kind in India. Animal under passes upto 5 meter height clearance, acoustic walls etc.
- (vi) Finally, Pench-Satpura and Pench-Kanha wildlife corridor is effective and functional in maintaining gene flow and plays an important role in maintaining genetic variation and persistence of tigers in this landscape. Long term mitigation measures are continuous process and Madhya Pradesh Department is continuously working on it making corridors more effective and viable for animal movements, tiger dispersal to have good gene flows.

Annexure V

Performa of Action Taken Report. –

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure)
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.